तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	06/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से अस्वस्थ होने से जनरल तारीख पेशी हो ... साथ आदेश की पालना में दिनांक 27/11/2025 को पेश हो। [illegible]
	27/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 5/12/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
	5/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण का कथन है कि भूमि खसरा नं. 589, 592, 593, 594, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 877, 878, कुल किता 13 कुल रकबा 2.33 हैक्टेयर वाकेआ बच्ची का ग्राम स्थित है। ख.नं. 554, 555, 556, 557, 558, 562 563, 572, 563, कुल किता 9 कुल रकबा 4.31 है जिसके साबी खसरा नं. 518 रकबा 17 बिगा 6 बिस्वा हाल ख.नं. 873 व 878 का साबिक ख.नं. 636 था कि उक्त भूमि में अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि का हाल ख.नं. 563 (1435) / 563, 1434/8.. स्थित है। सेटलमेंट विभाग में नवीन नक्शा शीट में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि के ख.नं. 878 का रकबा [illegible] अधिकार के [illegible] रूप से कम करके इस रकबे

2456

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
गलत व अवैध रूप से अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि के ख. नं. 563 के रकबे में शामिल कर रकबे को बढ़ा कर अवैध रूप से ख. नं. 563 का रकबा गलत नक्शा सीट में बढ़ा दिया है जिसका कोई आधि. सेक्टर नियम को नहीं था प्रार्थीगण मौके पर साबिक नक्शा सीट के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। भूमि ख. नं. 878 प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में है। अप्रार्थी सं. 1 का कोई वफ्ता नहीं है। नक्शा सीट में दुरुस्ती करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त भूमि में लट्ठ के जोर पर नाजायज कब्जा करने को आमादा है प्रथमा दृष्टि केस सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में साबिक है। अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।	
प्रा० पत्र का जवाब अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब निम्न प्रकार पेश किया वादपत्र में आलोलिखित अभिवचन हाल ख. नं. 877 व 878 राजस्व अभिलेख के अनुसार गलत दर्ज किया है। ग. बलवा में सम्वत 2052-71 के लिए भू. प्रबंध की कार्यवाही के दौरान राज. भू. राजस्व अधिनियम की धारा 121 के अनुसार तैयार की गई खतौनी बन्दोबस्त सम्वत-2052-71 के अनुसार वर्तमान ख. नं.	

a W E

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	877, व 878 पुराने (साबिक) ख.न. 635 636, 637, मिन से बनाये गये है। ख.न. 635, 636, 637, की भू-प्रबन्ध से पूर्व की नक्शा ट्रेस मे बताई गई स्थिति का परिशीलन किये जाने से स्पष्ट होता है साबिक ख.न. 518 के दक्षिण सीमारेखा से दक्षिण की ओर पुराना ख.न. 636 दर्शित है पु. ख.न. 636 के दक्षिण की तरफ पु.ख.न. 637 दर्शित है। पुराना ख.न. 636 की पश्चिमी सीमा रेखा से पश्चिम की तरफ पुराना ख.न. 634 की भूमि के बाद उक्त ख.न. 634 के दक्षिणी पश्चिमी की तरफ पुराना ख.न. 635 दर्शित किया है मिन अप्रार्थी की खातेदारी का वर्तमान ख.न. 563 जो पुराना ख.न. 518 से बनाया गया है पुराने ख.न. 636 से दक्षिण की ओर स्थित होना नक्शा ट्रेस मे दर्शित है। भू-प्रबन्ध की कार्यवाही के समय पुराना ख.न. 634/2, 635, 636, 637 वादिया न. 2 हिस्सा 1/2 की खातेदारी तथा चन्द्रभान, कैलाश प्रसाद हिस्सा 1/2 की खातेदारी मे अभिलिखित इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि वर्तमान ख.न. 878 केवल पुराने ख.न. 636 से नही बनाया गया बल्कि पुराने ख.न. 635 मिन व 636 मिन व 637 मिन से बनाये है। जिसके कारण मिन अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि वर्तमान ख.न. 563 के रकबे से किसी प्रकार का कोई सम्बध न सरोकार नही है। इसलिए प्रथम दृष्टया मुकदमा सुविधा का सन्तुलन एवंम अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित है।

…4-2000-10 लाख फा.

FORM

फर्द अ…

(नियम…

अदालत कलेक्टर

उर्मिला वर्मा

मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय…
	बहस उभय पक्ष पर … प्रा. पत्र अस्थाई … का निस्तारण निम्न… आधार पर किया जा… 1. प्रथम दृष्टया … 2. सुविधा का सन्तु… 3. अपूर्णीय क्षति … 1. प्रथम दृष्टया मा… भूमि मे नक्शा … मुलवाद वादीसा… का निस्तारण पत्रा… आधार पर किया … निस्तारण न हो तब … स्वरूप बिगाडने की … है। इसलिए प्रकरण … होने तक अन्तरिम … कन्फर्म की जा स… मामला प्रार्थी के प… 2. सुविधा का सन्तु… उक्त दोनो बि… सुविधा के दृष्टि … रख है अस्थाई … की पक्षकार तीनो … बिन्दु अपने पक्ष…

रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Cr11

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांसवाड़ा

उर्मिला वगै. बनाम मोतीलाल वगै.

किस्म मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा नं० 157 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया प्रा॰ पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणों का निस्तारण निम्नांकित 3 बिन्दुओ के आधार पर किया जाता है – 1. प्रथम दृष्टया मामला 2. सुविधा का सन्तुलन 3. अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त 1. प्रथम दृष्टया मामला – प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि मे नक्शा दुरस्ती चाहता है मूलवाद वादीसाक्ष्य पर नियत है मूलवाद का निस्तारण पर्याप्त साक्ष्य/सबूतो के आधार पर किया जाना है। मूलवाद का निस्तारण न हो तब तक वादग्रस्त भूमि का स्वरूप बिगड़ने की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए प्रकरण मे मूलवाद के निर्णय होने तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की जा सकती है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। 2. सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति – उक्त दोनो बिन्दुओ का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक-साथ किया जा रहा है अस्थाई निषेधाज्ञा के मामले मे कोई भी पक्षकार तीनो बिन्दुओ मे से एक भी बिन्दु अपने पक्ष मे साबित करने मे	 [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मे सफल रहता है तो उसी के पक्ष मे तय होते है इसलिए उक्त दोनो बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे तय किये जाते है उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण मे दि० 13/12/24 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मुल्तवाद के निर्णय होने तक कन्फर्म की जाती है प्रकरण फैसल शुमार होकर मुलवाद के शामील हो 05/12/25 उप खण्ड अधिकारी नांदीकुई (दौसा)